तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांकः 123 / स.सा.प्र.वि / 2020 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 20 / 03 / 2020

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त संभागायुक्त
4. समस्त कलेक्टर
5. समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः—नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समस्त शासकीय कार्यालयों में अधिकारी — कर्मचारीगण की उपस्थिति को सीमित किए जाने बाबत्।

——00——

राज्य शासन द्वारा पूर्व में शासकीय कार्यालयों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये है। शासकीय सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने तथा संकमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि 25 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस के संकमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालय / अधिकारी — कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय / अधिकारी — कर्मचारी जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरब्रिगेड, साफ—सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपतकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ संचालित किया जाये।

2. जिन अधिकारी — कर्मचारी को कार्यालय आने से छूट दी जाये उन्हें घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) एवं सदैव मोबाईल / टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जायें।

3. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी — कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में अंतर रखा जाये ताकि भीड़—भाड़ में संकमण की संभावना कम की जा सकें। उदाहरण स्वरूप अधिकारी—कर्मचारी तीन पाली में उपस्थित हो जैसे प्रथम पाली 10 बजे प्रातः काल से सायं 5 बजे तक द्वितीय पाली 10:30 बजे प्रातः काल से सायं 5:30 बजे एवं तृतीय पाली 11 बजे प्रातः काल से सायं 6 बजे तक हो सकती है।

4. कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंस न्यूनतम 1 मीटर रखा जाये।

5 शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक यथासंभव स्वयं के आवागमन के साधन के माध्यम से आने जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

6 यह निर्देश कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण में कार्यरत अथवा अत्यावश्यक / आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत अधिकारी–कर्मचारीगण पर लागू नहीं होंगे।

7 इन निर्देशो के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराया जाए।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांकः 123 ए /स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 20/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
4. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
10. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग